आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

आँगनबाड़ी पुनरीक्षण अपीलवाद संख्या–61/2022

1. अर्चना कुमारी, पति–श्री राजीव यादव।

बनाम्

1. बिहार सरकार।
2. बबिता कुमारी, पति–श्री उपेन्द्र कुमार यादव।

उपस्थिति / प्रतिनिधित्व

वादी की तरफ से :–विद्वान अधिवक्ता, ललन प्रसाद, कमल कुमार वर्मा एवं अजय कुमार।

प्रतिवादी सं०–02 की तरफ से :–विद्वान अधिवक्ता, दिलीप कुमार तिवारी।

सरकार की तरफ से :–विद्वान सरकारी अधिवक्ता, सारण।

आदेश

अनुसूची–14 फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
09.10.2024 **21.10.2024**	प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण अपीलवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, सारण, छपरा द्वारा आँगनबाड़ी वाद सं०–68 / 2021 में दिनांक–16.03.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध इस स्तर पर दायर किया गया है। प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय–वस्तु यह है कि वार्ड सं०–05, ग्राम–सरदारगंज विष्णुपुरा, पचायत राज–खजुरी, थाना+प्रखंड–मशरख, जिला–सारण में सेविका पद पर चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये। जिसमें अपीलकर्त्ता श्रीमती अर्चना कुमारी, पति–श्री राजीव यादव, विपक्षी सं०–02, बबिता कुमारी, पति–श्री उपेन्द्र कुमार यादव एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस क्रम में दिनांक–23.01.2021 को वार्ड सं०–05, पंचायत–खजुरी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सरदारगंज के प्रांगण में सेविका / सहायिका के चयन हेतु आम सभा का आयोजन वार्ड सदस्य–सह–अध्यक्ष की सदस्यता में किया गया, जिसमें संबंधित महिला पर्यवेक्षिका, सदस्य सचिव के रूप में उपस्थित रहीं है। प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका पद हेतु तैयार मेधा सूची के क्रम सं०–01 पर रहने के कारण विपक्षी	

WEB COPY NOT OFFICIAL

सं०–02 बबिता कुमारी, पति–श्री उपेन्द्र कुमार यादव का चयन सेविका पद हेतु किया गया। उक्त चयन के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सारण के समक्ष आँगनबाड़ी वाद सं०–68/2021 दायर किया गया, जिसकी विधिवत् सुनवाई के पश्चात् दिनांक–16.03.2022 को पारित आदेश में अपीलकर्त्ता के आवदेन को खारिज कर दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सारण के उक्त आदेश से विक्षुब्ध होकर अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत वाद आयुक्त न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। इस स्तर पर सुनवाई के क्रम में अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष CWJC No-3073/2023 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–24.07.2023 को पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नांकित हैः–

"*The Commissioner, Saran Division, at Chapra (Respondent No.3) is directed to dispose of the petitioner's Anganbari Appeal/Revision No.61 of 2022, by a reasoned and speaking order, in accordance with law, within a period of four weeks (04) from the date of receipt/production of a copy of this order.*"

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता–उपस्थित।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता विगत 06 तिथियों से लगातार अनुपस्थित रहें है। इस क्रम में स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित P.R No-009123 (Law) 2024-25 के माध्यम से तथा बार कांउसिल में नोटिस के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद एवं दिनांक–06.09.2024 को अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्राप्त वकालतनामा पर अंकित मो० नं०–7903738195 पर गोपनीय शाखा के दूरभाष से सूचित किये जाने के बावजूद अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित रहें है। इस क्रम में दिनांक–09.10.2024 को पूर्वाहन 10:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई की तिथि एवं समय निर्धारित करते हुए सुनवाई की गयी हैं।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का लिखित पक्ष यह है कि दिनांक–23.01.2021 को आयोजित आमसभा, वार्ड सदस्यों के विरोध के कारण स्थगित कर दी गयी थी तथा विपक्षी सं०–02, श्रीमती बबिता कुमारी के अंक पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण–पत्र के जाँच हेतु आम सभा की अगली बैठक हेतु

WEB COPY NOT OFFICIAL

तिथि का निर्धारण किया गया था। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सिविल सर्जन, छपरा से मांगे गये सूचना के क्रम में सिविल सर्जन, सारण, छपरा के पत्रांक–572 दिनांक–03.03.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि विपक्षी सं०–02, श्रीमती बबिता कुमारी के पक्ष में कोई दिव्यांगता प्रमाण–पत्र निर्गत नही किया गया है। ऐसे में विपक्षी सं०–02, बबिता कुमारी को दिव्यांगता के बोनस अंक का लाभ दिया जाना एवं उक्त के आधार पर उनका चयन सेविका पद पर किया जाना विभागीय नियमों का उल्लंघन है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सारण, छपरा द्वारा भी उक्त तथ्यों पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलकर्त्ता के पक्ष का खंडन करते हुए कहा गया कि प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र पर कुल–03 अभ्यर्थियों द्वारा Online आवेदन किये गये थें। Online आवेदन के समय साईबर कैफे वाले की गलती से विपक्षी सं०–02 के दिव्यांगता कॉलम में ''हाँ'' अंकित हो गया था, जिसकी सूचना उनके द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मशरख, सारण को दिनांक–11.11.2019 को उपलब्ध करायी गयी है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि विपक्षी सं०–02 किसी भी तरह से दिव्यांग नहीं है और न ही उनके द्वारा दिव्यांगता के बोनस अंक का लाभ ही प्राप्त किया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र हेतु तैयार किये गये मेधा सूची के क्र० सं०–01 पर विपक्षी बबिता कुमारी, क्र० सं०–02 पर अपीलकर्त्ता अर्चना कुमारी तथा क्रं० सं०–03 पर श्रीमती सुनीता कुमारी रहीं है। ऐसे में मेधा सूची के क्रं० सं०–01 पर रहने तथा अन्य अर्हता को पूरा करने के कारण विपक्षी सं०–02 का चयन सेविका पद हेतु किया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि आम सभा पंजी के प्रस्ताव सं०–05 में स्पष्ट किया गया है कि विपक्षी सं०–02 द्वारा अपने दिव्यांगता के संबंध में न तो कोई साक्ष्य दिया गया है और न ही दिव्यांगता के बोनस अंक का लाभ ही विपक्षी सं०–02 को दिया गया है। आम सभा पंजी के

WEB COPY NOT OFFICIAL

प्रस्ताव सं०–09 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आम सभा में ही सेविका/सहायिका के नामों की घोषणा की गयी है तथा वार्ड सदस्य–सह–अध्यक्ष द्वारा सेविका/सहायिका को आम सभा में ही सर्वसम्मति से चयन पत्र दिया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि विपक्षी सं०–02 द्वारा न तो अपने दिव्यांगता का कभी दावा किया गया है, न ही इससे संबंधित प्रमाण–पत्र बनवाया गया है और न ही इससे संबंधित कोई कागजात सेविका पद पर चयन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

उक्त के आधार पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सारण, छपरा द्वारा पारित आदेश समुचित है, जिसे यथावत् रखा जाय।

उभय पक्षो को उनके द्वारा समर्पित दस्तावेज/लिखित पक्ष तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी सं०–02, बबिता कुमारी के Online आवेदन में दिव्यांगता कॉलम में ''हाँ'' अंकित किया गया है, परन्तु इससे संबंधित कोई कागजात उनके द्वारा आम सभा अथवा अन्य किसी स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही दिव्यांगता के बोनस अंक का लाभ ही उन्हें प्राप्त है। आम सभा पंजी के अवलोकन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि विपक्षी सं०–02 को दिव्यांगता के बोनस अंक का कोई लाभ नहीं दिया गया है। मेधा सूची के क्र० सं०–01 पर रहने के कारण तथा अन्य अर्हता को पूर्ण करने के कारण विपक्षी सं०–02, बबिता कुमारी का चयन प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका के रूप में किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विपक्षी का चयन दिव्यांगता के बोनस अंक के आधार पर किये जाने के दावा के संबंध में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के लिखित अभिकथन में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि विपक्षी सं०–02 का दिव्यांगता प्रमाण–पत्र कहाँ से बनवाया गया है तथा किस प्रकार उसका लाभ प्राप्त किया गया है। इस स्तर पर सुनवाई के क्रम में कई बार अपना पक्ष रखने का अवसर

WEB COPY NOT OFFICIAL

दिये जाने तथा अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को दूरभाष पर भी सूचित किये जाने के बावजूद अपीलकर्त्ता स्वयं अथवा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सारण, छपरा द्वारा आँगनबाड़ी वाद सं०–68/2021 में दिनांक–16.03.2022 को पारित आदेश को त्रुटिरहित पाते हुए उसे यथावत् रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत पुनरीक्षण अपीलवाद को खारिज किया जाता है।

आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त

WEB COPY NOT OFFICIAL